

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राम निवास सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15255

1 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

### विचार के लिए मुद्दा

क्या सेवानिवृत्ति के बाद वसूली की जा सकती है, जबकि कर्मचारी की ओर से कोई गलती नहीं है?

### हेडनोट्स

सेवा कानून-वसूली- याचिकाकर्ता वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त हो गया था- सेवा के दौरान उसने योजना के तहत गृह ऋण के लिए आवेदन किया था- उसे 2000 से पहले ऋण स्वीकृत किया गया था- याचिकाकर्ता ने सेवा अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण का भुगतान किया।

**निर्णय:** सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जा सकती है, यदि यह संबंधित कर्मचारी की गलती के कारण नहीं है कि ऐसी राशि भुगतान के लिए देय/बकाया है - याचिकाकर्ता से वसूली करने के लिए कार्रवाई करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है - याचिकाकर्ता का विभाग पहले ही प्रमाणित कर चुका है कि ब्याज के साथ गृह ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया गया है और वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा 1,494.00 रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया है - प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से कोई भी राशि वसूलने से रोक दिया

गया है - याचिकाकर्ता को 1,494.00 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है, जिसका भुगतान उसने अधिक किया था - रिट याचिका को अनुमति दी गई।

(पैराग्राफ 5 से 8)

### न्याय दृष्टान्त

पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेद धोबी) एवं अन्य, (2015) 4 एससीसी 334—पर भरोसा किया गया ।

### अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

### मुख्य शब्दों की सूची

वसूली, अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद कोई वसूली नहीं।

### प्रकरण से उत्पन्न

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 6-85 दिनांक 16.04.2015 में निहित पत्र से।

### पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राजीव शेखर अधिवक्ता; सुश्री अभांजलि, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री अनिरबन कुंडू, एससी-24।

महाधिवक्ता की ओर से: श्री अरुण कुमार अरुण, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 15255

=====

राम निवास सिंह, पिता-स्वर्गीय राज कुमार सिंह, निवासी ग्राम- कंधेरपुर, थाना- संदेश,  
जिला- भोजपुर,आरा वर्तमान पता- मकान संख्या. 26, मार्ग संख्या 1 ए, शिवपुरी, ए.एन.  
कॉलेज के पीछे, पटना-800023

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. मुख्य सचिव, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. पुलिस अधीक्षक (ई), आपराधिक जांच विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. पुलिस उपाधीक्षक, लेखा अनुभाग, आपराधिक जांच विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. महालेखाकार, बिहार, पटना।
10. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना।
11. कोषागार अधिकारी, सिंचाई भवन, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए :

श्री राजीव शेखर, अधिवक्ता

सुश्री आभाजंलि, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अनिर्बान कुन्दु, एस सी-24

महाधिवक्ता के लिए : अरुन कुमार अरुन, अधिवक्ता

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक: 01-09-2023

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत/तों की मांग करते हुए दायर की गई है:-

“1.(1)उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए कि वे अग्रिम गृह निर्माण के खिलाफ याचिकाकर्ता के पेंशन खाते से 2.5% की दर से अधिशेष/अतिरिक्त ब्याज के रूप में 9521 रुपये की राशि को मनमाने तरिके से वसूल /कटौती न करें क्योंकि याचिकाकर्ता के द्वारा नियत तिथि पर ब्याज सहित मूल राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है ।

(ii) उत्तरदाता सं. 6 को आदेश जारी करने के लिए एक प्रकार का परमादेश जारी किया जाता है कि वह ज्ञापांक संख्या 1706 दिनांक 17.10.2008 में निहित पत्र पर कार्रवाई करे, जो पुलिस उप महानिरीक्षक, आपराधिक जांच विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संबोधित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में स्वीकृति पत्र/प्राधिकार पत्र जारी करने और प्रदान करने का अनुरोध किया गया था ताकि याचिकाकर्ता द्वारा गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के रूप में किए गए 1494/- रुपये के अतिरिक्त भुगतान को वापस किया जा सके।

(iii) उत्तरदातओं को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज के रूप में किए गए 1494/- रुपये के अतिरिक्त भुगतान को वापस करें।

(iv) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन सं. 6-85 दिनांक 16.04.2015 में निहित पत्र को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण के रूप में एक रिट जारी करना जो सहायक लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया था, जिसके तहत और जहाँ कोषागार अधिकारी, सिंचाई भवन, पटना के तहत सहायक लेखा अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह याचिकाकर्ता के पेंशन खाते से गृह निर्माण अग्रिम के विरुद्ध 9521/- रुपये की राशि वसूल/कटौती करें।

(v) आपराधिक जाँच विभाग, बिहार, पटना द्वारा वरिष्ठ उप पुलिस अधीक्षक (लेखा अनुभाग), आपराधिक जाँच विभाग, बिहार, पटना के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन सं. 1807 दिनांक 28.08.2014 में निहित पत्र को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करना, जिसके तहत और जहाँ तक याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि वह गृह निर्माण अग्रिम के विरुद्ध देय अतिरिक्त ब्याज राशि 9521/- रुपये जमा करे।

(vi) वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी ज्ञापन सं. 565 दिनांक 22.07.2014 और पत्र ज्ञापन सं. 570 दिनांक 17.06.2015 में निहित परिणामी आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी करे, जिसके द्वारा और जहाँ के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया था और तदनुसार, पुलिस अधीक्षक (ई) को निर्देश जारी किया गया है कि रुपये की राशि वसूल/काट ली जाए। याचिकाकर्ता के पेंशन खाते से 9521/- (नौ हजार पाँच सौ इक्कीस रुपये मात्र) की राशि

निकाल ली गई है, और इसे गृह निर्माण अग्रिम पर 2.5% की दर से अतिरिक्त ब्याज के रूप में माना जा रहा है, यहाँ तक कि मामले पर भी कानून के अनुसार विचार किए बिना।”

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 13.03.1970 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर हुई थी, जिसके बाद उसे पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और अंततः याचिकाकर्ता 31.08.2008 से सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। यह दलील दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा अवधि के दौरान, गृह निर्माण अग्रिम योजना के अंतर्गत 2,00,000/- रुपये के गृह ऋण के लिए आवेदन किया था, जिसे वर्ष 2000 से पहले स्वीकृत और भुगतान किया गया था और उसके बाद, उसने इसे ब्याज सहित किश्तों में चुका दिया था और इस तथ्य का प्रमाण लेखा पत्र है, जो वर्तमान रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है, जिसे डीएसपी, प्रभारी लेखाकार, सीआईडी, बिहार सरकार, पटना द्वारा दिनांक 17.10.2008 को तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने गृह ऋण की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और वास्तव में उसने 1,494.00 रुपये अतिरिक्त जमा किए हैं।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उप पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, बिहार, पटना द्वारा वित्त विभाग के अपर सचिव को लिखे गए दिनांक 17.10.2008 के पत्र का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने गृह ऋण की पूरी राशि ब्याज सहित पहले ही चुका दी है और लेखा-जोखा के बाद, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने 1,494.00 रुपये अधिक भुगतान किए हैं। इस प्रकार, यह दलील दिया गया है कि अब उत्तरदाता अवैध रूप से ऐसी राशि वसूलने की कोशिश कर रहे हैं जो याचिकाकर्ता के लिए देय और भुगतान हेतु बकाया नहीं है।

4. उत्तरदाता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रति-शपथ पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ किशतों का भुगतान नहीं किया गया है, हालाँकि, इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता-अधिकारी एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी को परेशान करने पर तुले हुए हैं और यद्यपि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान गृह ऋण की पूरी राशि ब्याज सहित चुका दी है, फिर भी वे झूठे बहाने से तथाकथित बकाया राशि, जो वास्तव में कानूनी रूप से देय नहीं है, वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक सुस्थापित कानून है कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जा सकती, यदि संबंधित कर्मचारी की गलती के कारण ऐसी राशि देय/बकाया नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदी करने वाला) व अन्य (2015) 4 एससीसी 334 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता से वसूली की कार्रवाई करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए इस आधार पर भी उत्तरदाताओं की आक्षेपित कार्रवाई कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता के विभाग के प्रमुख ने पहले ही प्रमाणित कर दिया है कि ब्याज के साथ आवास ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है और वास्तव में 1 रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता से प्रश्नगत राशि की वसूली की मांग करने के रूप में उत्तरदाताओं

की आक्षेपित कार्रवाई कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है।

7. नतीजतन, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी राशि की वसूली करने से रोक दिया जाता है और इसके विपरीत उन्हें याचिकाकर्ता को तुरंत 1 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

8. रिट याचिका की अनुमति है।

**(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)**

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।